

I/37007/2022

उत्तर मध्य रेलवे

कार्यालय

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त./रे.सु.ब.

उ.म.रे./प्रयागराज

दिनांक 05.04.2022

पत्रांक: ई/रे.सु.ब./रिवार्ड/उ.म.रे./प्रयागराज/2022

महानिरीक्षक/मुख्यालय  
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

## विषय-Submission of Reward Roll by Zonal railways.

संदर्भ- सुरक्षा नियंत्रण कक्ष, रेलवे बोर्ड नई दिल्ली का पत्रांक निल दिनांक 29.03.2022

\*\*\*\*\*

संदर्भित पत्र के आलोक में प्रयागराज स्टेशन के रे0सु0ब0 बल सदस्य द्वारा किये गये अच्छे कार्य के सम्बन्ध में रिवार्ड रोल तैयार किया गया है, जो निम्नानुसार है-

क्रम सं०	नाम (सर्वश्री)	पदनाम एवं तैनाती स्थल	घटना का संक्षिप्त विवरण	रिमार्क
01.	1.एस0एन0 पाटीदार, 2. जय प्रकाश यादव, 3. विजय बहादुर राम, 4. उमेश कुमार, 5. दीपक कुमार, 6. अरुण सिंह राठौर	निरीक्षक स0उ0नि0 हे0काँ0 हे0काँ0 आरक्षक आरक्षक डिटेक्टिव विंग झांसी	दिनांक 29.03.2022 को निरीक्षक डिटेक्टिव विंग झांसी एस0एन0पाटीदार के नेतृत्व में डिटेक्टिव विंग झांसी व जीआरपी झांसी द्वारा भोपाल-झांसी, झांसी-उरई के मध्य मुख्यतः ट्रेनों में यात्री सामान की चोरी करने वाले 01 शातिर अपराधी (गैंग लीडर) को झांसी स्टेशन पर 08 अदद चोरी के मोबाइल फोनों के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के 02 अन्य साथियों को डिटेक्टिव विंग झांसी व जीआरपी झांसी द्वारा दिनांक 26.01.2022 को वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। उक्त आरोपी अक्षय को डिटेक्टिव विंग झांसी द्वारा सर्विलॉस सेल जीआरपी झांसी की मदद से आरोपी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखते हुए वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछ-तॉछ के दौरान उपरोक्त मोबाइल आदि को वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में चोरी करना बताया। <b>अभियुक्त का विवरण-</b> अक्षय कुमार पुत्र ज्ञानेन्द्र सिंह कुशवाहा निवासी नया पटेल नगर ब्लाक के पास कस्बा व थाना काँच, जिला जालौन (उ0प्र0) <b>बरामद चोरित संपत्ति का विवरण-</b> 08 अदद चोरित मोबाइल फोन (आई फोन-8, सैमसंग गैलेक्सी ए 71, वन प्लस, रेडमी-7, 02-ओप्पो, इनफिनिकस व 01 वीवो) अनुमानित कीमत रु. 1,61,000/- <b>कृत कार्यवाही-</b> आरोपी को थाना जीआरपी झांसी में पूर्व में दर्ज निम्नलिखित अभियोगों में संबद्ध किया गया। 01.मु0अ0सं0 517/2021 धारा 380, 411 भादवि थाना जीआरपी झांसी। 02.मु0अ0सं0 252/2021 धारा 380, 411 भादवि थाना जीआरपी झांसी। 03.मु0अ0सं0 270/2021 धारा 380, 411 भादवि थाना जीआरपी झांसी। 04.मु0अ0सं0 368/2021 धारा 380, 411 भादवि थाना जीआरपी झांसी।	नामित बल सदस्य द्वारा किये गये सराहनीय कार्य हेतु पुरस्कृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

रिपोर्ट प्रेषित है।

(रवीन्द्र वर्मा)

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त./रे.सु.ब.

उ.म.रे./प्रयागराज